प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बासठ'

[ 26/7/2016]

प्रश्न सं. [ क्र. 1414 ]

प्रश्न. क्र.- 1414

परिशिष्ट

# कार्यालय नगर पालिक निगम सतना (म.प्र.)

क्रमांक / 33... / कालोनी सेल / न.पा.नि. / 2014 सतना, दिनांक 22-4-14

प्रति,

~~अध्यक्ष - गंगा गृह निर्माण~~
~~सहकारी समिति मर्यादित~~
~~भरारी सतना~~ (म.प्र.)

**विषय :-** अवैध कालोनी का निर्माण एवं विकास कार्य करने के सम्बन्ध में।

...000...

विषयान्तर्गत नगर पालिक निगम, सतना सीमान्तर्गत, आपके द्वारा वार्ड क्रमांक 33........ के आराजी क्रमांक 267/1/1/1, 276/3/1/1, 277/1/1, 277/2/1, 278/1, 279, 280/1/1, 281/1/1, 281/2/1, 282, 287, 303/1, 304, 305, 306/1/1 पर अवैध रुप से कालोनी निर्माण करने के आशय से भूमि को प्लाटों मे विभक्त कर कच्चे / पक्के मार्गो का निर्माण / विकास कार्य किया जा रहा है। **म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-क के अन्तर्गत** कालोनी निर्माण के लिए (कालोनी निर्माण करने वाले या भवन निर्माता) को **कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र** प्राप्त करना आवश्यक है एवं **धारा 292-ख के प्रावधानानुसार कालोनी विकास की अनुमति** प्राप्त करना अनिवार्य है। आपके द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एवं कालोनी विकास की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। जो **म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।**

अतः आप अवैध रुप से विकसित की जा रही कालोनी का विकास कार्य तत्काल बंद कर अवैध निर्माण को 03 दिवस के अंदर स्वयं स्थल से हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा नगर पालिक निगम सतना द्वारा, नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार अवैध रुप से विकसित की गई कालोनी को हटाया जावेगा, तथा उस पर होने वाला व्यय भी आपसे वसूल किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Bhopal

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

**आयुक्त**
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

olc -